# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़ (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मिसल नं 810/दावा/2019
दायरा दि0 05/04/2019

उनवान

रविकान्त पुत्र हरिओम जाति धाकड़ निवासी बर्डगुवालिया तह0 खानपुर
—— वादी

बनाम्

1. मोहनलाल पुत्र भंवरलाल जाति धाकड़ निवासी बर्डगुवालिया तह0 खानपुर
2. हरिओम पुत्र मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी बर्डगुवालिया तह0 खानपुर
3. मीना पुत्री मोहनलाल पत्नि बालकृष्ण जाति धाकड़ नि0 पनवाड़ तह0 खानपुर
4. शाखा प्रबंधक महोदय, पंजाब नेशनल बैंक शाखा हरीगढ़
5. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब तह0 खानपुर

– प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 209 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित :– श्री ओमप्रकाश धनौलिया अधिवक्ता – वादी
श्री अनिल मेहता अधिवक्ता –प्रतिवादी

## निर्णय

दिनांक 04/06/2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने यह वाद धारा 88, 91, 92ए, 209 आर.टी.एक्ट 1955 के अर्न्तगत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम बर्डगुवालिया की जमाबंदी सं0 2071–74 की खतौनी सं0 118 की ख0नं0 263 की 0.03 बीघा, ख0नं0 264 की 41.03 बीघा, ख0नं0 265 की 3.04 बीघा, ख0नं0 275 की 0.03 बीघा, ख0नं0 288 की 37.09 बीघा, ख0नं0 289 की 0.04 बीघा, ख0नं0 297 की 0.07 बीघा कुल 7 किता रकबा 82.13 बीघा आराजी वादी के दादा मोहनलाल पुत्र भंवरलाल के खाते एवं कब्जे काश्त की है। वादी के दादा के एक पुत्र हरीओम प्रति0नं0 2 व एक पुत्री मीना प्रति0नं0 3 मौजूद है तथा वादी रविकान्त प्रति0नं0 1 का पौत्र व प्रति0नं0 2 का पुत्र है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी सम्पत्ति होने से इसमें वादी का जन्म से ही अधिकार है और वादी अपने हिस्से के अनुसार खातेदार टीनेंट है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुश्तैनी आराजी में वादी का जन्म होते ही अधिकार उत्पन्न हो गये हैं, जिसको वादी प्राप्त करने व खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है। इस पुश्तैनी आराजी में वादी के पिता हरिओम का 1/3 हिस्सा, दादा मोहनलाल का 1/3 हिस्सा व मोहनलाल की पुत्री मीना का 1/3 हिस्सा निहित है। वादग्रस्त आराजी में वादी के पिता प्रति0नं0 2 हरिओम के 1/3 हिस्से में वादी के पिता प्रति0नं0 2 हरिओम का



उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

1/6 हिस्सा व वादी का 1/6 हिस्सा होता है। इस प्रकार वादी अपना 1/6 हिस्सा प्राप्त करने व अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी ने अपने वाद में यह भी आलेखित किया है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी को बैचने पर आमादा हैं। यदि यह अपने मकसद में कामयाव हो गये तो वादी अपने हिस्से से वंचित हो जायेगा तथा इससे वादी को आर्थिक एवं मानसिक नुकसान होगा जिससे ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति द्रव्य में अंसम्भव होगी। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वाद, वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिकी फरमाया जावे कि ग्राम वर्डगुवालिया की जमावंदी सं0 2071–74 की खतौनी सं0 118 कुल 7 किता रकवा 82.13 बीघा में वादी को 1/6 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे तथा प्रति0नं0 1 को 1/3 हिस्से का, प्रति0नं0 2 को 1/6 हिस्से का व प्रति0 नं0 3 को 1/3 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे और इसी प्रकार रेवेन्यू रेकार्ड में इन्द्राज किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह भी वादी को दिलायी जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलव किया गया। प्रति0नं0 4, 5 के वावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी तथा वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपने अपने अधिवक्ताओं के साथ उपस्थित होकर इस प्रकार राजीनामा पेश किया कि " उक्त उनवान के प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर लिया है राजीनामा इस प्रकार है :–

" आराजी खतौनी सं0 118 की ख0नं0 263 की रकवा 0.03 बीघा, ख0नं0 264 की रकवा 41.03 बीघा, ख0नं0 265 की रकवा 3.04 बीघा, ख0नं0 275 की रकवा 0.03 बीघा, ख0नं0 288 की रकवा 37.09 बीघा, ख0नं0 289 की रकवा 0.04 बीघा, ख0नं0 297 की रकवा 0.07 बीघा कुल खसरा 7 कुल रकवा 82.13 बीघा वाके ग्राम वर्डगुवालिया का वादी रविकान्त को 1/3 हिस्सा का खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी नं0 1 मोहनलाल को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 2 हरिओम को 1/3 हिस्सा का खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे। प्रतिवादी नं0 3 मीनाबाई आराजी में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहती है। आराजी में जो मेरा हिस्सा है मैं पक्षकारान के पक्ष में छोड़ रही हूँ। यह राजीनामा वादी, प्रतिवादीण ने बिना किसी दाव दबाव के किया है, राजीनामा से पक्षकारान सहमत हैं, यह राजीनामा वादी व प्रतिवादी ने अपनी स्वेच्छा से किया है। राजीनामा डिकी का भाग रहेगा। पक्षकारान राजीनामा से सहमत है जो सही है। अतः राजीनामा पेश कर श्रीमान् से निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक कर राजीनामा अनुसार दावा डिकी करने का आदेश प्रदान करें " राजीनामा पक्षकारान को पढ़कर सुनाया गया, पक्षकारान द्वारा इसे सही एवं सत्य होना एवं राजी खुशी से आलेखित कराना स्वीकार करने पर तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता वादी ने अंपनी साक्ष्य में वादी के वयान दर्ज कराये तथा ग्राम वर्डगुवालिया की जमावंदी सं0 2071–74 की खतौनी सं0 118 प्रदर्श करायी गयी। तत्पश्चात अधिवक्ता उभय पक्ष की वहस सुनी गयी।

उपखण्ड अधिकारी
झालरापाटन जिला झालावाड़
(राजस्थान)



Scanned by CamScanner

विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष ने अपनी बहस में प्रकट किया कि ग्राम बर्डगुवालिया की 7 किता की 82.13 बीघा आराजी पुश्तैनी सम्पत्ति है, जिसमें वादी को जन्म से अधिकार प्राप्त है। पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना के यह राजीनामा हो गया है। प्रति0 नं0 3 ने अपने हिस्से का परित्याग पक्षकारान के पक्ष में कर दिया है। ऐसे में राजीनामा अनुसार वादी को 1/3 हिस्से का, प्रति0नं0 1 को 1/3 हिस्से का एवं प्रति0नं0 2 को 1/3 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया है, जो विधि सम्मत पाये जाने पर तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली है। ऐसे में हम यहां इस वाद का निर्णय प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार किया जाना उचित समझते हैं।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में प्रकट किया कि हमने लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश कर दिया है। ऐसे में वाद का निर्णय राजीनामा के अनुसार किया जावे।

अतः वाद, वादी राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा ग्राम बर्डगुवालिया की जमावंदी सं0 2071–74 की खतौनी सं0 118 की ख0नं0 263 की 0.03 बीघा, ख0नं0 264 की 41.03 बीघा, ख0नं0 265 की 3.04 बीघा, ख0नं0 275 की 0.03 बीघा, ख0नं0 288 की 37.09 बीघा, ख0नं0 289 की 0.04 बीघा, ख0नं0 297 की 0.07 बीघा कुल 7 किता रकबा 82.13 बीघा आराजी में वादी को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी नं0 1 को 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादी नं0 2 को 1/3 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। आराजी पर रहन का अंकन यथावत रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 04/06/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)



Scanned by CamScanner